

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 08, शुक्रवार, शके 1946-अगस्त 30, 2024 Bhadra 08, Friday, Saka 1946- August 30, 2024	

भाग-1(ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग
प्रपत्र - 9

(धारा - 19 - भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत घोषणा और सार)

(नियम 21 के उपनियम-1) देखें)

कार्यालय भूमी अवाप्ति अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी हिंडोन जिला करौली
घोषणा

करौली, अगस्त 10, 2024

संख्या 9594334 :-चूंकि राजस्थान सरकार को प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोटा मथुरा रोड रलवे समपार एल सी 198 पर आरओबी निर्माण कार्य के लिए आवश्यक है।

अतः घोषणा की जाती है कि मानक माप के अनुसार 3.5348 हैक्टर भूमि के खण्डों का उपरोक्त परियोजना के लिए ग्राम सिकरोदा मीना ओर हिंडोन कि भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु अधिग्रहण किया जाना है। जिसका विस्तार से विवरण संलग्न सूची के अनुसार है।

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टर में) (मानक माप)
1	2	3	4	5
करौली	हिंडोन	सिकरोदा मीना	कुल खसरा 44 (सूची संलग्न)	3.5198
करौली	हिंडोन	हिंडोन	कुल खसरा 1 (सूची संलग्न)	0.0150
		योग	कुल खसरा 45	3.5348

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता की धारा 15 के प्रावधानों के तहत भूमि में रुचि रखने वाले सभी लोगों को उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए आपत्तियों को सुनने के बाद व सरकार के द्वारा अनुमोदित करने के उपरांत की गई है।

भू-अर्जन के कारण पुनर्वास होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

कोयला, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खदानों के उपरोक्त भूमि या उपरोक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से, जिसकी खानों और खनिज जिनका खोदा जाना आवश्यक हो सकता है, के ऐसे भागों को छोड़कर / निकालकर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भूमि अधिग्रहण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिंडोन एवम तहसीलदार हिंडोन जिला करौली के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है। प्रस्तावित भू-अर्जन में किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

अथवा

उक्त परियोजना के लिए अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसार प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित किसी भी व्यक्तियों का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। पुनर्वास योजना रिपोर्ट का अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिंडोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत ग्राम सिकरोदामीना तहसील हिण्डौन जिला करौली की अर्जित की जा रही भूमि का विवरण :-

क्र० सं०	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	किस्म भूमि	कुल रकबा (है०)	अवाप्त किये जाने वाला क्षेत्रफल (है०)	प्रभावित व्यक्ति का नाम/पता	सीमाएँ				वृक्ष	संरचना	विवरण		
							पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	533	कृषि	चाही-2	0.1900	0.0196	धनसिंह पुत्र शयोसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- मीणा सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) कॉर्पोरेशन बैंक शाखा हिण्डौन	675	531	रास्ता	528	-	-			
2.	534	सरकारी भूमि	गै.मु. बगीची	0.0400	0.0241	राज. सरकार	675	रास्ता	रास्ता	533	बबूल	01			
3.	535	सरकारी भूमि	गै.मु. रास्ता	0.3900	0.0476	राज. सरकार	612	534	614	533	नीम	02			
4.	586	कृषि	चाही-2	0.2900	0.0199	उमराव पुत्र जौहरया हिस्सा- 1/10 जाति- मीना, किशन पुत्र भोरया हिस्सा- 1/2 जाति- मीना, मूलचन्द पुत्र जौहरया हिस्सा- 1/10 जाति- मीना, रामसिंह पुत्र जौहरया हिस्सा- 1/10 जाति- मीना, लच्छी पुत्र जौहरया हिस्सा- 1/10 जाति- मीना, वीरवल पुत्र	587	584	रास्ता	570	नीम बबूल	11			